कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 10-09-2024

विषयः- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा राजपत्रित अधिकारीगण के साथ की गई गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- **सीपी ने दिये निर्देश- कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व करें सुनिश्चित।**
- **सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत अतिक्रमण के विरूद्ध चल रहे अभियान को दे प्राथमिकता, स्वयं करें प्रतिभाग।**
- **सीएम डैशबोर्ड व आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिये निर्देश।**
- **चिन्हित सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर/एच0एस0 की हो कार्यवाही, सम्पत्ति जब्तीकरण करते हुए की जाये कड़ी कार्यवाही।**
- **संवेदनशील प्रकरणों में त्वरित एवं संवेदनशीलतापूर्ण दें प्रतिक्रिया।**
- **पुलिसकर्मियों की नियमित ब्रीफिंग कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ायें।**

आज दिनांक 10-09-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में राजपत्रित अधिकारीगण के साथ अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति व लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध डॉ0 के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अन्य निर्देशः-

- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सीएम डैशबोर्ड व आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा कर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये।
- पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ टारगेट ओरिएंटेड पुलिसिंग के तहत प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी को समयबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं, प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जायेगी।

- प्रत्येक जोन के डीसीपी को सितम्बर माह के लिए टारगेट दिये गये हैं, जिसमें 81 एस0आर0 केसेज (हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, गैंगेस्टर) का निस्तारण किये जाने व चिन्हित अपराधियों के विरूद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर व गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- जनता की समस्याओं का त्वरित और उचित समाधान हो एवं पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु नागरिकों के फीडबैक को गंभीरता से लें एवं शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गये।
- पुलिस आयुक्त द्वारा लम्बित एस0आर0 केसेज की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े प्रकरणों में अनुदान वितरण की समीक्षा की गई एवं लम्बित अनुदान के मामलों में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
- पुलिस आयुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण कराया जाये।
- चिन्हित सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध एन0एस0ए0/गुण्डा/गैंगेस्टर/एच0एस0 व सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
- मा0 न्यायालय व आयोगों से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिये गये।
- सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत अतिक्रमण के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा कर यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पुलिस आयुक्त ने अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील मामलों में त्वरित एवं संवेदनशीलतापूर्ण प्रतिक्रिया दें। बच्चों, वृद्धजनों एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर विशेष ध्यान दें।
- पुलिस और आमजनमानस के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ाने के लिए सामुदायिक बैठकें और संवाद सत्र नियमित रूप से आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पुलिस आयुक्त द्वारा अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्त पुलिसकर्मियों की नियमित ब्रीफिंग कर उनकी कार्यक्षमता को उन्नत करें।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।